

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.11(6)नवि/गोलूवाला(हनुमानगढ़)/2026-17669 जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

अधिसूचना

नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा गोलूवाला (जिला हनुमानगढ़) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान, क्षितिज वर्ष-2047 तक के लिए तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	चक का नाम (हिन्दी में)	चक का नाम (अंग्रेजी में)
1	16 एमओडी	16 MOD
2	21 जेआरके	21 JRK
3	22 जेआरके	22 JRK
4	23 जेआरके ए	23 JRK A
5	23 जेआरके बी	23 JRK B
6	33 एलएलडब्ल्यू	33 LLW
7	17 एमओडी	17 MOD
8	18 एमओडी	18 MOD
9	20 एमओडी	20 MOD
10	24 जेआरके	24 JRK
11	35 एलएलडब्ल्यू	35 LLW
12	15 एमओडी ए	15 MOD A
13	15 एमओडी बी	15 MOD B
14	20 जेआरके	20 JRK
15	36 एलएलडब्ल्यू	36 LLW
16	25 जेआरके	25 JRK
17	26 जेआरके	26 JRK
18	2 एचडीपी	2 HDP
19	19 जे.आर.के.	19 JRK
20	30 एल.एल.डब्ल्यू	30 LLW
21	31 एल. एल.डब्ल्यू	31 LLW
22	32 एल.एल.डब्ल्यू (पार्ट)	32 LLW (Part)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।

6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गोलूवाला।
11. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम